

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा- प्रथम) का कार्यालय, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
ऑडिट भवन, झाँसी रोड, ग्वालियर

पत्र क्रमांक-प्रशा.11/स-6/फा-85/80

दिनांक:- 19.08.2025

परिपत्र/Circular-80

निर्धारित प्रपत्र (संलग्न) में निम्नलिखित प्रतिनियुक्ति हेतु दो प्रतियों में आवेदन पत्र समूह अधिकारी के माध्यम से आमंत्रित किये जाते हैं।

शर्त:- जो कार्मिक ग्वालियर से बाहर कार्यरत हैं, वे अपना आवेदन समूह अधिकारी को ई-मेल के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में भेजें। जिन कार्मिकों को पूर्व प्रतिनियुक्ति से लौटे तीन वर्ष पूर्ण नहीं हुए हैं (भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति से लौटे कार्मिकों के अलावा) उनको आवेदन करने की पात्रता नहीं है। जिन कार्मिकों का चयन हो जाता है, उन्हें किसी भी परिस्थिति में अपना नाम वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रतिनियुक्ति से वापस लौटने पर उनकी पदस्थापना इस विभाग के ग्वालियर या भोपाल स्थित कार्यालय में की जा सकती है।

प्रति नियुक्ति संख्या	अन्तिम तिथि	विभाग/कार्यालय	पद	पात्रता	प्रतिनियुक्ति	आयु सीमा
H-423	20.08.2025	O/o the Principal Director of Audit, South Eastern Railway, Kolkata	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (Pay level-10 with pay range from Rs.56,100 to 1,77,500)	प्रतिनियुक्ति/बाह्य सेवा की सामान्य शर्तों के अधीन	56 वर्ष
			सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी (Pay level-8 with pay range from Rs.47,600 to 1,51,000)		

संलग्न:- उपर्युक्तानुसार

हस्ता-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन-11

पृष्ठा.पत्र क्रमांक- प्रशा.11/स-6/फा-85/

दिनांक:- 19.08.2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा- प्रथम) का कार्यालय, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
2. उप महालेखाकार (प्रशासन), प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा- प्रथम) का कार्यालय, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
3. उप महालेखाकार (प्रशासन), महालेखाकार (लेखापरीक्षा- II) मध्य प्रदेश का कार्यालय, 53-अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल, कृपया पात्र कार्मिकों के आवेदन निर्धारित प्रारूप में (दो प्रतियों में) इस कार्यालय को उल्लेखित दिनांक तक आवश्यक रूप से भेजने की व्यवस्था करें। साथ ही अभ्यर्थियों के सतर्कता/अनुशासनात्मक/न्यायालयीन/शास्ति संबंधी जानकारी के साथ ही आवेदन प्रेषित करें।
4. उप महालेखाकार/ए.एम.जी- I, ए.एम.जी- II, ए.एम.जी- III, ए.एम.जी- IV, ए.एम.जी- V, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा- प्रथम) मध्य प्रदेश का कार्यालय, ग्वालियर।

5. उप निदेशक, महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय प्राप्ति) नई दिल्ली का कार्यालय, शाखा ग्वालियर, कृपया पात्र कार्मिकों के आवेदन निर्धारित प्रारूप में (दो प्रतियों में) इस कार्यालय को उल्लेखित दिनांक तक आवश्यक रूप से भेजने की व्यवस्था करें। साथ ही अभ्यर्थियों के सतर्कता/ अनुशासनात्मक/ न्यायालयीन/ शास्ति संबंधी जानकारी के साथ ही आवेदन प्रेषित करें।
6. उप महालेखाकार (प्रशासन), प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-I मध्य प्रदेश का कार्यालय, ग्वालियर, कृपया पात्र कार्मिकों के आवेदन निर्धारित प्रारूप में (दो प्रतियों में) इस कार्यालय को उल्लेखित दिनांक तक आवश्यक रूप से भेजने की व्यवस्था करें। साथ ही अभ्यर्थियों के सतर्कता/अनुशासनात्मक/न्यायालयीन/शास्ति संबंधी जानकारी एवं पिछले 05 वर्षों के APAR की ग्रेडिंग भी प्रेषित करें।
7. वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन- 12, 13, 14, सामान्य अनुभाग, कार्यपालन शाखा, विधि कक्ष (प्रशिक्षण), गोपनीय कक्ष, रिपोर्ट, रिपोर्ट (पी.ए.सी.), फास (एम), एस.एम.यू.।
8. वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/आई. एस. विंग को इन्ट्रानेट पर Administration - Personnel लिंक एवं कार्यालय की बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
9. व.ले.प.अ./प्रशा.14 को इन्ट्रानेट एवं इन्टरनेट पर अपलोड संबंधी कार्य करने हेतु प्रेषित।
10. सूचना पटल/ऑडिट भवन।
11. गार्ड फाइल हेतु।


वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी /प्रशासन-11

Application

1	Name of the Candidate	
2	Post held and date from which present post held	
3	Date of Birth	
4	Gender	
5	Year of SAS Examination passed	
6	Total length of service in the post of Assistant Audit Officer/Senior Audit Officer	
7	Date of Superannuation	
8	Educational qualifications	
9	Any other qualifications	
10	Name of the Office in which presently working	
11	Address for communication (with mobile number and e-mail id)	
12	Nature of duties performed as Assistant Audit Officer	
13	Enclose a separate sheet if any, duly authenticated by the department for sl. No. 12.	
14	Present Basic Pay and Pay level in pay matrix.	

Date: -

Signature of the Candidate

It is certified that particulars furnished above (Sl. No 01 to 14) are correct and no vigilance/disciplinary proceedings is either pending or contemplated against the Officer and no penalty, major or minor was imposed on the officer during the last 10 years.

The integrity of the Officer is beyond doubt.

Signature of the Head of the Department

(with stamp)